

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3563
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि स्वीकृत

3563. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में आशा कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) आशा कार्यकर्ताओं के लिए वर्ष 2022 से आज तक केरल राज्य को स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 100 करोड़ रुपये की राशि के लंबित बिल का अभी तक भुगतान करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केंद्र सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
- (ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आशा कार्यकर्ताओं को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधनों के अंतर्गत होता है।

देश में आशा कार्यकर्ताओं को सामान्य और आवर्ती कार्यकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने सितंबर, 2022 में

आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को अनुमोदित किया है। इन आशा कार्यकर्ताओं संबंधी प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES.pdf

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के पश्चात, आशा कार्यकर्ता निगरानी कार्यनिष्पादन संकेतकों (प्रति माह 1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे - आशा कार्यकर्ता वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा कार्यकर्ता डायरी, ड्रग किट, आशा कार्यकर्ताओं के लिए विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने को भी अनुमोदित किया है।

वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) जिसमें बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम दिया जाएगा)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 2.00 लाख रुपये तक का लाभ; आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान और 50% लाभार्थियों द्वारा)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य परिचर्या कवरेज को सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीले पूल के तहत एकमुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है ताकि राज्यों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशा कार्यकर्ताओं संबंधी क्रियाकलापों के लिए अलग से कोई धनराशि जारी नहीं की जाती

है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल राज्य को केंद्रीय निर्गत राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	केंद्रीय निर्गत
1	2021-22	771.47
2	2022-23	1036.76
3	2023-24	189.15

(घ) और (ङ): केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
